क्रम-संख्या–262

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019

पौष 6, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2242/79-वि-1-19-1(क)17-19

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (त्र) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ट) एक विश्वविद्यालय, जिसे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"

धारा 50 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।"

धारा 52 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-च) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2-छ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायं, तब तक डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।"

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या-5 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"5-डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(एक) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना होने तक	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा जिले
(दो) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना हो जाने पर	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले

(ख) क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"17-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिले

कठिनाइयों को दूर किया जाना

6-(1) राज्य सरकार, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना से सम्बन्धित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2019

7-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में जिला अलीगढ़, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन है, जिसमें अलीगढ़ मण्डल के चार जिलों सहित उत्तर प्रदेश के 08 जिले सम्मिलित हैं। चूंकि अलीगढ़ मण्डल में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं है इसलिए डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की विशाल क्षेत्रीय अधिकारिता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव सम्बद्ध महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयोजन के लिये और अलीगढ़ मंडल के युवा वर्ग को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उक्त मण्डल के जनसामान्य में उच्च शिक्षा का वातावरण उत्पन्न करने तथा उसे प्रोत्साहित करने हेतु अलीगढ़ मण्डल में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ नामक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने के लिये 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973' में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 2242(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)17-19

Dated Lucknow, December 27, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution. the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) ACT, 2019

(U. P. Act no. 20 of 2019)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from November 22, 2019.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A), *after* clause (j), the following clause shall be *inserted*, namely :–

"(K) a University to be known a Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh;"

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-G), the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(1-H) Until the First Statutes of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh are made under this section, the Statutes of the University of Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of section 52

4. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-F), the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(2-G) Until the First Ordinances of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,–

(a) *for* the entries appearing at serial no. 5, the following entries shall *substituted*, namely :–

"5. Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra–

(i) Until the establishment of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh	Districts of Agra, Aligarh, Etah, Firozabad, Hathras, Kasganj, Mainpuri and Mathura

(ii) Upon the establishment of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh	Districts of Agra, Firozabad, Mainpuri and Mathura

(b) *after* the serial no. 16, the following serial shall be *inserted*, namely:–

"17. Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh	Aligarh, Etah, Hathras, Kasganj Districts

Removal of difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh by order published in the *Gazette,* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 2019.

(2) The order issued under sub-section (1) shall be laid before each house of the State Legislature.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 6 of 2019

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In relation to higher education the District of Aligarh is under the territorial jurisdiction of Doctor Bhim Rao Ambedker University, Agra consisting of 8 districts of Uttar Pradesh including four districts of Aligarh Division. Since there is no State University in Aligarh Division, the quality of higher education was adversely affecting due to vast territorial jurisdiction of Doctor Bhim Rao Ambedker University, Agra. Therefore for the purpose of effective control over affiliated colleges and to provide higher education to the youth of Aligarh Division and to promote and create the environment of higher education in the public of the said division it was decided to amend the State Universities Act, 1973 to establish and incorporate a State University in Aligarh Division by the name of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no. 6 of 2019) was promulgated by the Governor on November 22, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 491 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(1243)–599 प्रतियां–(क०/टी०/ऑफ़सेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 106 सा० विधायी–2019–(1244)–300 प्रतियां–(क०/टी०/ऑफसेट)।